

:: आदेश ::


उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-504/VII-A-1/2023/ दिनांक 25 मार्च 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप 469/VII-A-1/2023/ दिनांक 22 मार्च 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-17/2023 रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु अद्योस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1- | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 2- | नोडल प्रभागीय वनाधिकारी | - | सदस्य |
| 3- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 4- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | श्री विजय जड़धारी ग्राम जड़धार पट्टी बमुण्ड, तहसील टिहरी, टि0ग0। | - | नामित सदस्य |

इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया निम्न प्रकार किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------|---|---------|
| 1- | संबंधित उप जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | संबंधित पुलिस उपाधीक्षक | - | सदस्य |
| 3- | संबंधित सहायक वनाधिकारी, जो एस0डी0ओ0से न्यून न हो | - | सदस्य |
| 4- | जिला खान अधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | सम्भागीय परिवहन अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | संबंधित खनन क्षेत्र के प्रधान | - | सदस्य |

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे, तथा कृत कार्यवाही को अवगत करायेंगे।



(सौरभ गहर्वाले)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या-278/ऐ0जे0ए0/30-12 (2019-20) दिनांक नई टिहरी 27, मार्च 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून।
- 2- उप जिलाधिकारी टिहरी/नरेन्द्रनगर/धनोल्डी/प्रतापनगर/घनसाली/कीर्तिनगर/को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी/मसूरी/नरेन्द्रनगर।
- 4- जिला खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
- 6- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।


जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।